

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण प्रकरण संख्या 63/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एडलवैस एंसेट रिक्न्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, द्वितीय तल, प्लाट नम्बर 100, वैशाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. भौरी लाल शर्मा पुत्र श्री श्यामाथ शर्मा
पता :- 51, ब्राह्मण मोहल्ला, भावनी खुर्द, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर
एवं पट्टा नं. 23, ग्राम पंचायत भावनी, पंचायत समिति जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
2. छीतरमल शर्मा पुत्र श्री राम सहाय शर्मा
पता :- 131, भावनी खुर्द, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर
एवं पट्टा नं. 24, ग्राम पंचायत भावनी, पंचायत समिति जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
3. श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री भौरी लाल शर्मा
पता :- भावनी खुर्द, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
4. रामदयाल शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा
पता :- 129, भावनी खुर्द, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।



अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

चपस्थित :- श्री विकास मैसी, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 11.03.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वित्तीय संस्था एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्मुग्तान हेतु दिनांक 05.07.2016 को जमानत प्रतिमूति के रूप में अप्रार्थी भौरीलाल के स्वामित्व की संपत्ति पट्टा संख्या 23 ग्राम पंचायत भावनी, पंचायत समिति जमवारामगढ़, जयपुर क्षेत्रफल 93.33 वर्गगज एवं अप्रार्थी श्री छीतरमल शर्मा के स्वामित्व की संपत्ति पट्टा संख्या 24 ग्राम पंचायत भावनी, पंचायत समिति जमवारामगढ़, जयपुर क्षेत्रफल 93.33 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 05,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण मुग्तान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.12.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक द्वारा जरिये असाईनमेन्ट एग्रीमेन्ट दिनांकित 22.12.2020 को अप्रार्थी का ऋण खाता प्रार्थी वित्तीय संस्था को स्थानान्तरित कर दिया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज मुग्तान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of

4/0
जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर (ग्रामीण)



Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 05,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 04,54,083/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 04.12.2018 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी भौरीलाल के स्वामित्व की बन्धक संपत्ति पट्टा संख्या 23 ग्राम पंचायत भवानी, पंचायत समिति जमवारामगढ, जयपुर क्षेत्रफल 93.33 वर्गगज एवं अप्रार्थी श्री छीतरमल शर्मा के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति पट्टा संख्या 24 ग्राम पंचायत भवानी, पंचायत समिति जमवारामगढ, जयपुर क्षेत्रफल 93.33 वर्गगजका भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर हेतु प्रयत्न करे। आदेश की प्रति हरव कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दर्ज है।



आज दिनांक 11.03.2024 को शरे इजलास सुनाया गया।

५०

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलकत्ता) जयपुर (ग्रामीण)